

अनुक्रमाणिका

- अ. 1 प्रस्तावना
अ. 2 सांविधानिक आधार
अ. 3 निषेध
अ. 4 सामान्य अनुमति

खंड आ : भारत के बाहर प्रत्यक्ष निवेश

- आ. 1 स्वतः अनुमोदित मार्ग
आ. 2 निधीयन की विधि
आ. 3 निर्यातों और अन्य देयताओं का पूंजीकरण
आ. 4 वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश
आ. 5 विदेश में पंजीकृत कंपनियों के ईक्विटी/ रेटेड ऋण लिखतों में निवेश
(i) कंपनियां
(ii) व्यक्ति
(iii) म्यूचुअल फंडों द्वारा निवेश
आ. 6 रिजर्व बैंक का अनुमोदन
आ. 7 स्वामित्ववाले फर्मों द्वारा समुद्रपारीय निवेश
आ. 8 वर्तमान संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निवेशोत्तर परिवर्तन/ अतिरिक्त निवेश
आ. 9 बोली या निविदा प्रक्रिया के जरिए विदेशी कंपनी का अभिग्रहण
आ. 10 भारतीय पार्टी का दायित्व
आ. 11 संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के शेयरों की बिक्री के रूप में अंतरण
आ. 12 शेयर गिरवी रखना
आ. 13 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की हेजिंग

खंड इ : विदेशी प्रतिभूतियों में अन्य निवेश

- इ.1 कुछ मामलों में विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद/ उनके अधिग्रहण की अनुमति
इ.2 भारत में निवास करनेवाले व्यक्तियों द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण
इ.3 कुछ मामलों में सामान्य अनुमति

भाग II

प्राधिकृत व्यापारियों के लिए परिचालनात्मक अनुदेश

नामित शाखाएं

सामान्य प्रक्रियागत अनुदेश

जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 11 के तहत निवेश

अनन्य पहचान संख्या का आबंटन

शेयर स्वैप के माध्यम से निवेश

जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 9 के तहत निवेश

स्टाक ऑप्शन योजना संबद्ध एडीआर/ जीडीआर के तहत विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद

बयाना राशि जमा अथवा बोली बांड गारंटी जारी करने के लिए प्रेषण

भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के शेयरों की बिक्री के माध्यम से अंतरण

संलग्नक -अ

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाओं की रिपोर्टिंग

संलग्नक -आ

प्रेषणों की रिपोर्टिंग

परिशिष्ट

भाग I

खंड - अ - सामान्य

अ.1 प्रस्तावना

संयुक्त उद्यमों (जेवी) और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं (डब्ल्यूओएस) में समुद्रपारीय निवेशों को भारतीय व्यापारियों द्वारा वैश्विक व्यापार के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में पहचाना गया है। संयुक्त उद्यमों को भारत और अन्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग के माध्यम के रूप में भी समझा जाता है। ऐसे विदेशी निवेशों से उत्पन्न अन्य उल्लेखनीय लाभों में प्रौद्योगिकी और कुशलता का अंतरण, अनुसंधान और विकास के परिणामों को आपस में बांटना, व्यापक विश्व बाजार तक पहुंच , ब्रांड छवि का संवर्धन ,रोजगारों का सृजन और भारत में तथा मेजबान देश में उपलब्ध कच्चा मालों का उपयोग आदि शामिल है। वे भारत से संयंत्र और मशीनरी और माल के बड़े हुए निर्यात के माध्यम से विदेशी व्यापार के महत्वपूर्ण संचालक भी हैं तथा ऐसे निवेशों पर लाभांश अर्जन, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी फी और अन्य हकदारी के रूप में विदेशी मुद्रा अर्जन के स्रोत भी हैं।

उदारीकरण के जोश के साथ सामंजस्य रखते हुए , जो सामान्य रूप से आर्थिक नीति और विशेष रूप से विदेशी मुद्रा नियंत्रण का प्रतीक बना है, रिजर्व बैंक द्वारा दोनों, चालू खाता साथ ही साथ पूंजी खाता लेनदेनों के लिए उसके नियमों में उत्तरोत्तर रियायतें दी गई हैं और क्रियाविधि को सरल बनाया गया है।

अ.2 सांविधिक आधार

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की धारा 6 रिजर्व बैंक को केंद्र सरकार के साथ परामर्श से पूंजी खाता लेनदेनों के अनुमत वर्गों और लेनदेन की सीमा जहां तक विदेशी मुद्रा अनुमत है, को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करती है। उक्त अधिनियम की धारा 6(3) रिजर्व बैंक को उस उप धारा के उप-खण्डों में उल्लिखित विभिन्न लेनदेनों को निषिद्ध, प्रतिबंधित, या नियंत्रित करने के लिए विनियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है।

उक्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए रिजर्व बैंक ने 3 मई 2000 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. फेमा.19/आरबी-2000 के अधिक्रमण और उसके संशोधन में 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004 (मार्च 31, 2005 की अधिसूचना सं. फेमा.132/2005 आरबी, मई 17, 2005 की अधिसूचना सं. फेमा 135/2005-आरबी और अगस्त 11, 2006 की अधिसूचना सं. फेमा 139/2005-आरबी, अगस्त 21, 2006

की अधिसूचना सं. फेमा 150/2006-आरबी द्वारा यथासंशोधित) (इसके पश्चात् "अधिसूचना" रूप में उल्लिखित) द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का हस्तांतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 जारी की है। अधिसूचना भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी प्रतिभूति के अंतरण और अभिग्रहण, अर्थात् विदेशी संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश, साथ ही साथ भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर जारी शेयरों और प्रतिभूतियों में निवेश को नियंत्रित करती है।

अ.3 निषेध

भारतीय पार्टियों को स्थावर संपदा कारोबार (फेमा 120 के विनियम 2 (त)) में यथापरिभाषित) अथवा बैंकिंग कारोबार में लगे हुए किसी विदेशी कंपनी में निवेश करने पर निषेध है।

अ.4 सामान्य अनुमति

अधिसूचना के विनियम 4 के अनुसार निवासियों को निम्नप्रकार से प्रतिभूतियों की खरीद/ अभिग्रहण के लिए सामान्य अनुमति प्रदान की गई है-

- क) निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में धारित निधियों में से; और
- ख) विदेशी करेंसी शेयरों की वर्तमान धारिता पर बोनस शेयरों के रूप में;
- ग) जब भारत में स्थायी रूप से निवासी नहीं है तो भारत के बाहर उनके विदेशी करेंसी स्रोतों में से।

इस प्रकार अभिगृहीत शेयरों / प्रतिभूतियों को बेचने की सामान्य अनुमति है ।

**आ.1 स्वतः
अनुमोदित मार्ग**

खंड आ : भारत के बाहर प्रत्यक्ष निवेश

अधिसूचना के विनियम 6 के अनुसार एक भारतीय पार्टी को विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निम्नानुसार निवेश करने की अनुमति है:

-अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख भारतीय पार्टी (कंपनियों) के निवल मालियत का 300 प्रतिशत से अनधिक

-अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख भारतीय पार्टी (पंजीकृत साझीदारी फर्मों) के निवल मालियत का 200 प्रतिशत से अनधिक

यह सीमा भारतीय पार्टी के विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में रखी गई शेष राशि अथवा एडीआर/ जीडीआर के माध्यम से जुटाई गई निधियों से किए गए निवेश पर लागू नहीं होगी। भारतीय पार्टी ऐसे निवेशों के संबंध में प्रेषण हेतु ओडीआई फार्म में आवेदन और निर्धारित संलग्नों / दस्तावेजों के साथ प्राधिकृत व्यापारियों से संपर्क करें।

उपर्युक्त सीमा में समुद्रपारीय विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं का पूजी में अंशदान संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं को स्वीकृत ऋण और संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं को या उसकी ओर से जारी गारंटियों के 100 प्रतिशत तक शामिल है। ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं-

क) भारतीय कंपनी केवल उसी समुद्रपारीय प्रतिष्ठान को ऋण/गारंटी दे सकती है जिसमें उसकी ईक्विटी सहभागिता है। भारतीय कंपनी किसी भी प्रकार की गारंटी-कारपोरेट या वैयक्तिक/ प्राथमिक या प्रवर्तक कंपनी द्वारा संपार्श्विक/ गारंटी अथवा भारत स्थित समूह कंपनी, सहयोगी संस्था, सहयोगी कंपनी द्वारा गारंटी दे सकती है बशर्ते

i) सभी "वित्तीय प्रतिबद्धताएं" सभी प्रकार की गारंटियों सहित भारतीय पार्टी के विदेश निवेश के लिए निर्धारित समग्र सीमा अर्थात् वर्तमान में निवेशक कंपनी (भारतीय पार्टी) की निवल मालियत के 300/200 प्रतिशत के अंदर हैं।

ii) कोई भी गारंटी "असीमित" न हो अर्थात् गारंटी की राशि स्पेसीफाइड अपफ्रंट होनी चाहिए, और

iii) कंपनी गारंटी के मामले में, सभी गारंटियों की सूचना ओडीआई फार्म भाग II में भारतीय रिजर्व बैंक को दी जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत से बाहर की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं/ संयुक्त

उद्यमों के पक्ष में भारत स्थित बैंकों द्वारा जारी गारंटियां इस सीमा से बाहर होंगी और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकसम्मत मानदंडों के अधीन होंगी।

ख) भारतीय पार्टी रिजर्व बैंक के निर्यातक सतर्कता सूची, रिजर्व बैंक/ सीआरबीआइएल द्वारा परिचालित बैंकिंग के चूककर्ता की सूची में न हो अथवा किसी जांच/ प्रवर्तन एजेंसी अथवा विनियामक निकाय द्वारा जांच के अधीन न हो।

ग) संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं से संबंधित सभी लेनदेन भारतीय पार्टी द्वारा नामित की जानेवाली किसी प्राधिकृत व्यापारी की एक शाखा के माध्यम से किए जाएं।

घ) वर्तमान विदेशी कंपनी के आंशिक/ पूर्ण अधिग्रहण के मामले में, जहां निवेश 5.00 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है, शेयरों का मूल्यांकन सेबी के पास पंजीकृत किसी श्रेणी I वाणिज्यिक बैंकर अथवा मेजबान देश में उचित विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत भारत से बाहर के निवेश बैंकर/ वाणिज्यिक बैंकर, और अन्य सभी मामलों में सनदी लेखाकार अथवा प्रमाणित लोक लेखाकार द्वारा किया जाता है। फिर भी शेयरों के स्वैप के रूप में निवेश के मामलों में, राशि पर ध्यान दिए बगैर सभी मामलों में, शेयरों का मूल्यांकन सेबी के पास पंजीकृत किसी श्रेणी I वाणिज्यिक बैंकर अथवा मेजबान देश में उचित विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत भारत से बाहर निवेश बैंकर द्वारा करना पड़ेगा। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का अनुमोदन भी एक पूर्व शर्त होगी।

पंजीकृत साझेदारी फर्म द्वारा विदेश स्थित विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनी में निवेश में मामले में, जहां ऐसे निवेश के लिए संपूर्ण निधीयन फर्म द्वारा किया जाता है, तो अलग-अलग साझेदारों के लिए यह सही होगा कि वे विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में फर्म के लिए और फर्म की ओर से शेयर धारण करे यदि मेजबान देश के विनियम अथवा परिचालनात्मक अपेक्षाएं ऐसी शेयर धारिता का अधिकार देती हैं।

एक भारतीय कंपनी को, वास्तविक कारोबार के कार्यकलापों में लगी हुई विदेशी कंपनी को, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयरों (डिपॉजिटरी रिसीट मेकानिज्म के माध्यम से) योजना, 1993 और उसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जारी एडीआर/ जीडीआर के बदले शेयर अधिकग्रहण करने की अनुमति है।

- (क) एडीआर/ जीडीआर भारत से बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है;
- (ख) अधिग्रहण के प्रयोजन से एडीआर और/ अथवा जीडीआर निर्गम भारतीय पार्टी द्वारा जारी आधार नवीन ईक्विटी शेयरों द्वारा समर्थित हैं;
- (ग) भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा भारतीय कंपनी में कुल धारिता नए एडीआर और/अथवा जीडीआर निर्गम के बाद विस्तारित पूंजी आधार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत ऐसे निवेश के लिए संबंधित विनियमों के अंतर्गत निर्धारित क्षेत्रीय सीमा से अधिक न हो।
- (घ) विदेशी कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन
 - (i) यदि शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है तो निवेशकर्ता बैंकर की सिफारिशों के अनुसार; अथवा
 - (ii) जिस माह में अधिग्रहण हुआ है उससे पहले तीन माह के लिए विदेश में किसी स्टॉक एक्सचेंज में मासिक औसत मूल्य के आधार पर परिकल्पित विदेशी कंपनी के चालू बाजार पूंजीकरण पर आधारित और उसके अतिरिक्त, प्रीमियम, यदि कोई है, जैसा कि निवेशकर्ता बैंक द्वारा अन्य मामलों में इसके समुचित सावधानी रिपोर्ट में सिफारिश की गई है।

भारतीय पार्टी लेनदेन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर रिजर्व बैंक को रिपोर्ट किए जाने के लिए प्राधिकृत बैंक को फार्म ओडीआइ में ऐसे अधिग्रहण की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

टिप्पणी : नेपाल में सिर्फ भारतीय रुपए में निवेश की अनुमति है। भूटान में भारतीय रुपए और मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में निवेश की अनुमति है। मुक्त परिवर्तनीय मुद्राओं में किए गए निवेशों के संबंध में प्राप्य सभी राशियां और उनकी बिक्री/ समापन प्राप्यों को केवल मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में भारत प्रत्यावर्तित किया जाना है। **पाकिस्तान में निवेश के लिए स्वतः अनुमोदित मार्ग की सुविधा उपलब्ध नहीं है।**

आ.2 निधीयन की विधि

किसी विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनी में निवेश का निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक स्रोतों द्वारा निधीयन किया जा सकता है :-

- i) भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी मुद्रा का आहरण;
- ii) निर्यात का पूंजीकरण;

- iii) शेयरों की अदला बदली (उपर्युक्त पैरा आ.1(घ) में उल्लिखित के अनुसार मूल्यांकन);
 - iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की आय का उपयोग;
 - v) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर (डिपॉजिटरी रिसीट मैकेनिज्म के माध्यम से) योजना, 1993 के निर्गम की योजना और उसके अधीन केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जारी एडीआर/ जीडीआर के बदले में
 - vi) भारतीय पार्टी के विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता में रखी शेष राशि; और
 - vii) एडीआर/जीडीआर निर्गमों के माध्यम से जुटाई गई विदेशी मुद्रा निधियों की आय का उपयोग
- उपर्युक्त (vi) और (vii) के संबंध में, निवल मालियत के 300/200 प्रतिशत (जैसा लागू) की उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी। तथापि वित्तीय क्षेत्र में निवेशों के संबंध में, निधीयन की प्रणाली पर ध्यान दिए बगैर वही अधिनियम के विनियम 7 के अनुपालन की शर्त लागू होगी।

आ.3 निर्यात और अन्य देयताओं का पूंजीकरण

- क) भारतीय पार्टियों को लागू सीमा के अंदर विदेशी कंपनियों को किए गए निर्यात से प्राप्त होनेवाले भुगतानों, तकनीकी जानकारी, परामर्श, प्रबंधकीय और अन्य सेवाएं देने के लिए विदेशी कंपनी से प्राप्य शुल्क, रॉयल्टी या अन्य कोई हकदारी के पूंजीकरण की भी अनुमति है। निर्यात की तारीख से छह माह की अवधि के परे निर्यात मूल्य की वसूली बकाया हो तो उसके पूंजीकरण से पहले रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।
- ख) भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यातकों को, संयुक्त उद्यम के साथ करार के बिना, रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से विदेशी सॉफ्टवेयर कंपनी को किए गए अपने निर्यातों के मूल्य का 25% शेयरों के रूप में प्राप्त करने की अनुमति है।

आ 4 वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश

अधिसूचना के विनियम 7 के अनुसार वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत किसी कंपनी में निवेश करने की अनुमति मांगने वाली भारतीय पार्टी को निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा;

- (i) वित्तीय क्षेत्र के कार्यकलाप चलाने के लिए भारत में उपयुक्त विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत हो;
- (ii) वित्तीय सेवा कार्यकलाप के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निवल लाभ कमाया है;
- (iii) भारत और विदेश स्थित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से विदेश में वित्तीय क्षेत्र कार्यकलाप में निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है; और
- (iv) भारत स्थित संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकशील मानदंडों को पूरा किया है।

वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश करनेवाले संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनियों के स्टेप डाउन सहयोगी कंपनी को भी उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।

समुद्रपार किसी कार्यकलाप में निवेश करनेवाली वित्तीय क्षेत्र की विनियमित कंपनियों को उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र में अविनियमित कंपनियां अधिसूचना के विनियम 6 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन गैरा वित्तीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में निवेश कर सकती हैं। यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि समुद्रपार पण्य मंडियों में व्यापार करना और समुद्रपारीय मंडियों में व्यापार के लिए संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं की स्थापना करने को वित्तीय सेवा कार्यकलाप के रूप में गिना जाएगा और उसे वायदा बाजार आयोग से मंजूरी लेने की जरूरत है।

आ.5 विदेश में पंजीकृत कंपनियों के ईक्विटी / रेटेड ऋण लिखतों में निवेश

(i) कंपनियां

सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को, विदेश की कंपनियों में निवेश करने की अनुमति है, (क) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध और (ख) भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में कम से कम 10 प्रतिशत शेयर धारिता वाली हो (निवेश के वर्ष में 1 जनवरी को) उन्हें ऐसी कंपनियों के रेटेड बांडों/ नियत आय की प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति है। इस प्रकार के निवेश, तुलन पत्र के नवीनतम लेखा परीक्षण की तारीख को भारतीय कंपनी के निवल संपत्ति के 25 प्रतिशत से अधिक न हों।

(ii) व्यक्ति

उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत विनिर्दिष्ट सीमाओं और शर्तों के अधीन यथानुमत निवासी व्यक्तियों को बिना किसी मौद्रिक सीमा के ईक्विटी और

उक्त (i) में दर्शाई गई समुद्रपारीय कंपनियों के रेटेड बांड/ नियत आय प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है।

(iii) म्यूचुअल फंडों द्वारा निवेश

म्यूचुअल फंडों को भारतीय और विदेशी कंपनियों के एडीआर/जीडीआर, रेटेड ऋण लिखतों, सूचीबद्ध समुद्रपारीय कंपनियों के ईक्विटी, ईटीएफ और समुद्रपारीय म्यूचुअल फंडों, जो असूचीबद्ध समुद्रपारीय प्रतिभूतियों में नाम मात्र का निवेश (निवल परिसंपत्ति मूल्य का 10 प्रतिशत तक) करते हैं, में 4 बिलियन अमरीकी डॉलर की समग्र सीमा (कैप) तक निवेश करने की अनुमति है। सेबी के पास पंजीकृत घरेलू उद्यम पूंजी निधियां 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की समग्र सीमा के अधीन अपतटीय उद्यम पूंजी उपक्रमों के ईक्विटी और ईक्विटी संबद्ध लिखतों में निवेश कर सकता है। तदनुसार, इस सुविधा को प्राप्त करने के इच्छुक म्यूचुअल फंड इस संबंध में आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए सेबी से संपर्क करें।

उक्त श्रेणी के निवेशकों को इस प्रकार अधिगृहीत प्रतिभूतियों को बेचने की सामान्य अनुमति है।

आ 6. रिज़र्व बैंक का अनुमोदन

विदेश में प्रत्यक्ष निवेश के अन्य सभी मामले में, रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। इस प्रयोजनार्थ आवेदन दस्तावेजों के साथ ओडीआइ फार्म में और प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से किए जाएंगे। ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय रिज़र्व बैंक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा :-

- क) भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं की, प्रथम दृष्टि में, अर्थसक्षमता;
- ख) विदेशी व्यापार और अन्य लाभ में योगदान जो ऐसे निवेश से भारत को प्राप्त होगा;
- ग) भारतीय पार्टी और विदेशी कंपनी की वित्तीय स्थिति और पिछला कारोबार निष्पादन रिकार्ड;
- घ) भारत के बाहर संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के उसी कार्यकलाप या उससे संबंधित कार्यकलापों में भारतीय पार्टी की विशेषज्ञता और अनुभव।

आ.7 स्वामित्ववाली कंपनियों द्वारा समुद्रपारीय निवेश

प्रमाणित पिछले कार्यनिष्पादनवाले और वैश्वीकरण और उदारीकरण के लाभों का लाभ उठाने के लिए सतत रूप से उच्च निर्यातवाले मान्यता प्राप्त तारांकित निर्यातकों को समर्थ बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि पात्रता मानदंडों को पूरा करनेवाले स्वत्वधारी और अपंजीकृत साझेदारी

फर्मों को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से भारत से बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाए। फार्म ओडीआई में आवेदन प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, तीसरी मंजिल, मुंबई को किया जाए। प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे निवेश प्रस्तावों को अपनी टिप्पणियों/ सिफारिशों के साथ विचारार्थ रिज़र्व बैंक को भेजें।

स्थापित स्वत्वधारी और अपंजीकृत साझेदारी निर्यातक फर्मों द्वारा निवेश निम्नलिखित मानदण्डों के अधीन होगा :

- i) साझेदारी/ स्वत्वधारी फर्म विदेशी निवेश के महानिदेशक द्वारा मान्यताप्राप्त स्टार निर्यात हाउस (प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपये से अधिक निर्यात) है।
- ii) प्राधिकृत व्यापारी संतुष्ट है कि निर्यातक अपने ग्राहक को जानिए अनुपालक है, प्रस्तावित कारोबार में कार्यरत है और दर्शाए गए पण्यावर्त कर रहा है।
- iii) निर्यातक का अच्छा कार्य निष्पादन रिकार्ड है अर्थात् निर्यात बकाया पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निर्यात प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से अनधिक है।
- iv) निर्यातक किसी प्रवर्तन निदेशालय/ केन्द्रीय जांच ब्यूरो जैसे सरकारी एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं है और रिज़र्व बैंक के निर्यातकों की सतर्कता सूची अथवा भारतीय बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ता सूची में नहीं है।
- v) भारत के बाहर निवेश की राशि तीन वित्तीय वर्षों के निर्यात प्राप्ति के 10 प्रतिशत से अनधिक अथवा फर्म के निवल मालियत के 200 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अनधिक है।

आ.8 वर्तमान संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निवेशोत्तर परिवर्तन/अतिरिक्त निवेश

विनियमों के अनुसार भारतीय पार्टी द्वारा स्थापित संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाएं अपने कार्यकलापों में विविधता ला सकती हैं/ स्टेप डाऊन सहायक कंपनियों की स्थापना कर सकती हैं/ समुद्रपारीय कंपनी में शेयर धारिता के स्वरूप को बदल सकती हैं (वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनियों के मामले में, विनियम 7 के अनुपालन के अधीन) बशर्ते भारतीय पार्टी संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं द्वारा लिए गए ऐसे निर्णयों के ब्योरे, मेजबान देश के स्थानीय कानून के अनुसार ऐसे संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लिए गए ऐसे निर्णयों के अनुमोदन के 30 दिनों के

अंदर रिजर्व बैंक को दें और उसे वार्षिक रूप से रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जानेवाले वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट - ओडीआई भाग III) में शामिल करें।

आ. 9 बोली या निविदा प्रक्रिया के जरिए विदेशी कंपनी का अभिग्रहण

भारतीय पार्टी अधिसूचना के विनियम 14 के प्रावधानों के अनुसार बोली या टेंडर प्रक्रिया के जरिए विदेशी कंपनी के अभिग्रहण के लिए बयाना रकम का प्रेषण अथवा बोली बांड गारंटी जारी कर सकता है, बाद के प्रेषण प्राधिकृत व्यापारी के जरिए कर सकती है।

आ. 10 भारतीय पार्टी का दायित्व

विदेश में प्रत्यक्ष निवेश करने वाली भारतीय पार्टी का दायित्व (क) निवेश के साक्ष्य के रूप में शेयर प्रमाणपत्र अथवा कोई अन्य दस्तावेज प्राप्त करना, (ख) विदेशी कंपनी से प्राप्त रकम भारत में प्रत्यावर्तित करना, (ग) अधिसूचना के विनियम 15 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज/वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करना है।

आ. 11. संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनी के शेयरों की बिक्री के रूप में अंतरण

भारतीय पार्टियां निम्नलिखित श्रेणियों में रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर विनिवेश भी कर सकती हैं :

- i) जहां संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी समुद्रपारीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।
- ii) जहां भारतीय प्रवर्तक कंपनी भारत स्थित किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और जिसकी निवल मालियत 100 करोड़ रुपए से कम नहीं है।
- iii) जहां भारतीय प्रवर्तक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है और विदेशी उद्यम में निवेश 10 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं है।

भारतीय पार्टी को निवेश की तारीख से **30 दिनों के अंदर** अपने नामित प्राधिकारी व्यापारी बैंक के माध्यम से विनिवेश के ब्योरे प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित शर्तों को पूरा न करनेवाली भारतीय पार्टी को रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के लिए आवेदन करना होगा।

आ. 12. शेयर गिरवी रखना

कोई भी भारतीय पार्टी विदेश में अपने अथवा विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लिए ऋण सुविधा लेने हेतु भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी अथवा वित्तीय संस्था के पास संयुक्त

उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के शेयरों को अधिसूचना के विनियम 18 के अनुसार गिरवी रख सकती है। भारतीय पार्टियां समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में धारित शेयरों को गिरवी के रूप में किसी समुद्रपारीय उधारदाता को अंतरित कर सकती है बशर्ते उधारदाता का एक बैंक के रूप में विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है और भारतीय पार्टियों की कुल वित्तीय प्रतिबद्धताएं समुद्रपारीय निवेशों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमाओं के अंदर रहती हैं।

आ. 13. विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों की हेजिंग

विदेशी प्रत्यक्ष निवेशवाले निवासी कंपनियों को ऐसे निवेशों से उत्पन्न होनेवाले एक्सचेंज रिस्क के हेजिंग की अनुमति है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे जोखिम के सत्यापन की शर्त और इस शर्त पर कि नियत तारीख में सुपुर्दगी अथवा रोल ओवर द्वारा संविदा पूरे किए जाते हैं, अपने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ईक्विटी और ऋण) के हेजिंग के इच्छुक निवासी के साथ वायदा/ ऐच्छिक करार कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ऐसे वायदा संविदाओं को रद्द करने की अनुमति दे सकते हैं और इस प्रकार रद्द किए गए संविदाओं के 50 प्रतिशत के पुनः बुकिंग की अनुमति दी जाए।

यदि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बाजार मूल्य में गिरावट के कारण हेजिंग आंशिक अथवा पूर्ण रूप से असुरक्षित हो जाता है तो हेजिंग मूल परिपक्वता तक कायम रह सकता है। नियत तारीख को रोलओवर उस तारीख को बाजार मूल्य की सीमा तक अनुमत है।

खंड इ : प्रत्यक्ष निवेश से इतर विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश

इ. 1 कुछ मामलों में विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद/उनके अभिग्रहण के अनुमति

भारत में निवास करने वाले किसी भी एकल व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए सामान्य अनुमति प्रदान की गई है :-

- क) भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति से उपहार के रूप में विदेशी प्रतिभूति का अधिग्रहण; अथवा
- ख) भारत से बाहर किसी कंपनी द्वारा जारी नकद रहित कर्मचारी शेयर विकल्प योजना के तहत जारी शेयर का अभिग्रहण बशर्ते इसमें भारत से किसी प्रकार का प्रेषण शामिल न हो; अथवा
- ग) भारत में अथवा भारत के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति से विरासत में शेयरों का अधिग्रहण;
- घ) कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत किसी विदेशी कंपनी द्वारा प्रस्तावित ईक्विटी शेयर की खरीद, यदि वह किसी विदेशी कंपनी के भारतीय कार्यालय अथवा शाखा अथवा विदेशी कंपनी की भारत स्थित सहायक कंपनी अथवा किसी भारतीय कंपनी का कर्मचारी अथवा निदेशक है जिसमें प्रत्यक्ष अथवा विशेष प्रयोजन माध्यम से विदेशी ईक्विटी धारिता 51% से कम नहीं है। प्राधिकृत व्यापारी योजना के परिचालनगत पद्धति पर ध्यान दिए बगैर इस प्रावधान के तहत पात्र व्यक्तियों द्वारा शेयरों की खरीद के लिए प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं अर्थात् जहां योजना के तहत शेयर, जारीकर्ता कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा ट्रस्ट/ किसी विशेष प्रयोजन माध्यम/ स्टेप डाउन सहायक कंपनी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावित किए जाते हैं बशर्ते (i) शेयरों की जारीकर्ता कंपनी की प्रभावपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय कंपनी में, जिसके कर्मचारी/ निदेशकों को शेयरों का प्रस्ताव दिया जा रहा है इसकी ईक्विटी में कम से कम 51% तक धारिता है, (ii) कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत एकरूप आधार पर वैश्विक रूप से जारीकर्ता कंपनी द्वारा शेयर का प्रस्ताव दिया जा रहा है और (iii) प्रेषणों/ लाभार्थियों/ आदि का ब्योरा देते हुए प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के माध्यम से रिजर्व बैंक को भारतीय कंपनी द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट (संलग्नक अ, भाग II, मद सं.11) प्रस्तुत की जाती है।
- (ङ) विदेशी कंपनियों को किसी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत भारत में निवासियों को जारी शेयरों की पुनर्खरीद की अनुमति है बशर्ते (i) ये शेयर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गए नियमों/ विनियमों के अनुसार जारी किए गए हैं (ii) ये

शेयर प्रारंभिक प्रस्ताव दस्तावेजों के अनुसार पुनः खरीदे जा रहे हैं और (iii) प्रेषणों/ लाभार्थियों, आदि के ब्योरे देते हुए प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के माध्यम से एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की जाती है। भारत में निवासी व्यक्ति उपर्युक्त के अनुसार अधिगृहीत शेयरों को बिक्री द्वारा अंतरित कर सकता है बार्ते उससे प्राप्त राशि को प्राप्ति के तुरंत बाद और किसी भी स्थिति में ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री तारीख से 90 दिनों के अंदर ही प्रत्यावर्तित किया जाता है।

च) अन्य सभी मामलों में जो सामान्य या विशेष अनुमति के दायरे में नहीं आते हैं, विदेशी प्रतिभूति प्राप्त करने के पहले रिज़र्व बैंक की अनुमति आवश्यक है।

इ. 2 भारत में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 2000 अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों के अनुसार भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा अधिगृहीत/शेयरों को प्राधिकृत व्यापारी/ सार्वजनिक वित्तीय संस्था से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भारत में गिरवी रखने की अनुमति है।

इ 3 कुछ मामलों में सामान्य अनुमति

निवासियों को विदेशी प्रतिभूति अधिग्रहण करने की अनुमति है अगर वह निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करता है:-

क) भारत के बाहर कंपनी का निदेशक बनने के लिए योग्यता शेयर बशर्ते शेयर कंपनी की प्रदत्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक न हो और अधिग्रहण के लिए प्रतिफल एक कैलेंडर वर्ष में 20,000 अमरीकी डॉलर से अधिक न हो।

ख) अधिकार शेयर बशर्ते फिलहाल लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार शेयर धारण करने की हैसियत से अधिकार शेयर जारी किए जा रहे हैं।

ग) भारतीय प्रवर्तक कंपनी के विदेश स्थित संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के शेयरों की भारतीय प्रवर्तक कंपनी, जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कार्यरत है, के कर्मचारियों/निदेशकों द्वारा खरीद, जहाँ ऐसे खरीद का प्रतिफल पांच कैलेंडर वर्ष के खंड में 10,000 अमरीकी डालर या इसके समतुल्य से अधिक न हो; इस प्रकार अधिगृहीत शेयर भारत के बाहर संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण

स्वामित्ववाली सहायक संस्था की प्रदत्त पूँजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए; और ऐसे शेयरों के आबंटन के बाद भारतीय प्रवर्तक कंपनी द्वारा धारित शेयरों का उसके कर्मचारियों को आबंटित शेयरों को मिलाकर प्रतिशत भारतीय प्रवर्तक कंपनी द्वारा ऐसे आबंटन के पहले धारित शेयरों के प्रतिशत से कम न हो।

- घ) ज्ञान आधारित क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों समेत, निवासी कर्मचारियों द्वारा एडीआर/जीडीआर संबद्ध स्टॉक विकल्प योजना के तहत विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद, बशर्ते पांच कैलेण्डर वर्ष के ब्लॉक में क्रय प्रतिफल 50,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक न हो।

भाग II

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनात्मक अनुदेश

नामित शाखाएं

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अधिसूचना के विनियम 6 के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए विभिन्न केंद्रों पर चुनिंदा शाखाओं को नामित करें। भारत से बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में निवेश करनेवाली पात्र भारतीय पार्टी से अपेक्षा है कि वह निवेश से संबंधित सभी लेनदेन उसके द्वारा नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के केवल एक शाखा के माध्यम से करे। भारतीय पार्टी के भारत से बाहर के निवेशों के संबंध में रिजर्व बैंक को भेजे जानेवाले सभी पत्राचार प्राधिकृत व्यापारी बैंक के उसी शाखा के माध्यम से किए जाएं जिसे निवेश के लिए भारतीय निवेशक ने नामित किया है। अपने ग्राहकों से प्राप्त अनुरोधों को रिजर्व बैंक भेजते समय प्राधिकृत व्यापारी बैंक अनुरोध के साथ अपनी टिप्पणी/ सिफारिश भी भेजें। फिर भी, भारतीय निवेशक/ प्रवर्तक उनके द्वारा भारत से बाहर प्रवर्तित विभिन्न संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लिए विभिन्न प्राधिकृत व्यापारी बैंकों/ प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की विभिन्न शाखाओं को नामित कर सकते हैं।

जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 6 के अंतर्गत निवेश

प्राधिकृत व्यापारी बैंक किसी संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में निवेश करने के लिए भारतीय पार्टी/ पार्टियों से विधिवत् भरे हुए फार्म ए 2 के साथ फार्म ओडीए में आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्राप्त होने पर स्वीकार्य सीमा तक निवेश की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते समय-समय पर यथासंशोधित जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना फेमा सं.120/आरबी 2004 के विनियम 6 में उल्लिखित शर्तों का उन्होंने अनुपालन किया है। वित्तीय सेवाओं में निवेश के लिए पूर्वोक्त विनियम 7 में निर्धारित अतिरिक्त मानदंडों का पालन किया जाए। वित्तीय क्षेत्र में निवेश के संबंध में प्रेषण की रिपोर्ट भेजते समय, प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह प्रमाणित करे कि भारत और विदेश में विनियामक प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। प्रेषण को अनुमति देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी बैंक को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ओडीए फार्म में निर्धारित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रक्रिया संबंधी सामान्य अनुदेश

संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार पहले के सभी फार्मों को एक फार्म अर्थात् ओडीआइ में subsumed दिया गया है जिसके चार भाग हैं :

भाग I - जिसमें निम्नलिखित शामिल है :

खंड अ - भारतीय पार्टी के ब्योरे

खंड आ - नई परियोजना में निवेश के ब्योरे

खंड इ - वर्तमान परियोजना में निवेश के ब्योरे

खंड ई - संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लिए निधीयन

खंड उ - भारतीय पार्टी द्वारा घोषणा

खंड ऊ - भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणपत्र

भाग II - प्रेषणों की रिपोर्टिंग

भाग III - वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट

भाग IV - संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के समापन/ विनिवेश/ स्वैच्छिक परिसमापन/ बंद करने की रिपोर्ट

सामान्य अनुमति के तहत समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के समापन/ विनिवेश/ बंद करने/ स्वैच्छिक परिसमापन की रिपोर्टिंग के लिए एक नई प्रणाली भी शुरू की गई है (ओडीआइ फार्म का भाग IV) ओडीआइ के संशोधित फार्म में रिपोर्टिंग जून 1, 2007 से लागू हो गई है। रिजर्व बैंक के वेबसाइट www.rbi.org.in से भी इस फार्म को डाउनलोड किया जा सकता है।

यह दुहराया जाता है कि संशोधित फार्म से रिपोर्टिंग प्रक्रिया को केवल कारगर बनाया गया है और वर्तमान पात्रता मानदंडों/ प्रलेखीकरण/ सीमाओं में कोई परिवर्तन अथवा कमी नहीं है। आखिरकार ये रिपोर्ट रिजर्व बैंक द्वारा **ऑन लाइन** प्राप्त की जाएगी। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी बैंक निम्नानुसार कार्रवाई करें :

(क) स्वतः अनुमोदित मार्ग के मामले में - फार्म ओडीआइ का भाग I और II मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, अमर भवन, तीसरी मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ख) अनुमोदन मार्ग के मामले में - समर्थक दस्तावेजों के साथ ओडीआइ फार्म का भाग I उपर्युक्त पते पर नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा जांचके बाद सुस्पष्ट सिफारिश के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि प्रस्ताव का अनुमोदन किया

जाता है तो रिजर्व बैंक भाग I प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को वापस कर देगा। प्रेषण करने के बाद प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक फार्म ओडीआइ के भाग II के साथ उसे भारतीय रिजर्व बैंक को पुनः प्रस्तुत करे।

(ग) मार्च 27, 2006 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.29 के अनुसार स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विनिवेश/ बंद करने/ समापन/ स्वैच्छिक परिसमापन के मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ओडीआइ ऋण के भाग IV में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। विनिवेश के अन्य सभी मामलों में वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, आवश्यक समर्थक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(i) एक से अधिक भारतीय पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए निवेश के मामले में फार्म ओडीआइ सभी निवेशकर्ता पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित हो और प्राधिकृत व्यापारी बैंक की नामित शाखा में प्रस्तुत की जाए। प्राधिकृत व्यापारी बैंक प्रत्येक पार्टी के ब्योरे देते हुए समेकित ओडीआर फार्म रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करें। जहाँ निवेश अधिसूचना के विनियम 6(5) के अनुसार भारतीय पार्टियों के एडीआर/जीडीआर की प्राप्ति में से किया गया हो वहाँ भी यही प्रक्रिया अपनायी जाए। समुद्रपारीय परियोजना को रिजर्व बैंक मात्र एक अनन्य पहचान संख्या आबंटित करेगा।

(ii) विनियम 6 का उप-विनियम (2) का खण्ड (v) यह प्रावधान करता है कि किसी संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निवेश से संबंधित सभी लेनदेन भारतीय पार्टी द्वारा नामित किसी प्राधिकृत व्यापारी की केवल एक शाखा के जरिए किए जाने हैं। उचित अनुवर्तन के लिए प्राधिकृत व्यापारियों को प्रत्येक संयुक्त उद्यम/पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के संबंध में पार्टीवार रिकार्ड अलग से रखना है।

(iii) यह सुनिश्चित करने के बाद कि संयुक्त उद्यम/ पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय पार्टी का ईक्विटी शेयर है, प्राधिकृत व्यापारी बैंक विदेश के संयुक्त उद्यम/पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं को ऋण के लिए प्रेषण और/अथवा विदेशी संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक

संस्थाओं को/की ओर से गारंटी जारी करने की अनुमति दे सकते हैं।

**जुलाई 7, 2004 की
अधिसूचना सं. फेमा
120/2004-आरबी
के विनियम 11 के
तहत निवेश**

विनियम 11 के अनुसार भारतीय पार्टियों को विदेशी संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निर्यात अथवा अन्य प्राप्यों/हकदारियों जैसे, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क, परामर्श शुल्क आदि के पूंजीकरण के जरिए प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमति दी जाती है। ऐसे मामलों में भी भारतीय पार्टियों को फार्म ओडीआइ में पूंजीकरण के पूरे ब्योरे प्राधिकृत व्यापारी बैंक की नामित शाखा में प्रस्तुत करना है। पूंजीकरण के जरिए ऐसे निवेशों को भी विनियम 6 के अनुसार निर्धारित 300 प्रतिशत की सीमा (पंजीकृत साझेदारी ऋमों के मामले में 200 प्रतिशत) की गिनती करते समय गणना में लिया जाएगा। इसके अलावा जहाँ विनियम 11 के उपबंधों के अनुसार निर्यात प्राप्ति का पूंजीकरण किया जा रहा हो, वहाँ प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को विनियम 12(2) के अधीन अपेक्षित बीजक की सीमाशुल्क प्रमाणित प्रति प्राप्त करना होगा और उसे संशोधित ओडीआइ फार्म के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को भेजना होगा। अतिदेय निर्यात प्राप्ति अथवा अन्य हकदारियों के पूंजीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक होगी जिसके लिए भारतीय पार्टी ओडीआइ फार्म में एक आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के पास विचारार्थ प्रस्तुत करे।

**अनन्य पहचान संख्या
का आबंटन**

प्राधिकृत व्यापारी बैंक से फार्म ओडीआइ प्राप्त होने पर रिजर्व बैंक प्रत्येक विदेशी संयुक्त उद्यम/पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्था को एक अनन्य पहचान संख्या आबंटित करेगा जिसे रिजर्व बैंक के साथ किए जाने वाले सभी पत्राचार में उद्धृत करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समुद्रपारीय परियोजना को आवश्यक पहचान संख्या आबंटित करने के बाद ही प्राधिकृत व्यापारी बैंक विनियम 6 के अनुसार किसी भारतीय पार्टी द्वारा स्थापित वर्तमान विदेशी प्रतिष्ठान में अतिरिक्त निवेश के लिए अनुमति दे सकते हैं।

**शेयर स्वैप के रूप में
निवेश**

शेयर स्वैप के रूप में निवेश के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को चाहिए कि वे प्राप्त/ आबंटित शेयरों की संख्या, अदा किया गया/ प्राप्त प्रीमियम, अदा किया गया/ प्राप्त दलाली, जैसे लेनदेनों के ब्योरे अतिरिक्त रूप से रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करें और इस आशय का पुष्टिकरण दें कि लेनदेनों का आवक चरण एफआईपीबी द्वारा अनुमोदित किया गया है, और कि मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया

है और कि विदेशी कंपनियों के शेयर भारतीय निवेशक कंपनियों के नाम में जारी/ अंतरित किए गए हैं। प्राधिकृत व्यापारी, आवेदकों से इस आशय का वचनपत्र भी प्राप्त करें कि भारतीय कंपनी में अनिवासियों द्वारा इस प्रकार अधिगृहीत शेयरों की भावी बिक्री/ अंतरण समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

**जुलाई 7, 2004 की
अधिसूचना सं. फेमा
120/2004-आरबी
के विनियम 9 के
अंतर्गत निवेश**

विनियम 9 के अनुसार कुछ मामलों में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए इस विशेष अनुमोदनों के अंतर्गत प्रेषणों की अनुमति दे और उक्त प्रेषण की रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, समुद्रपारीय मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी निवेश प्रभाग, अमर भवन (तीसरी मंजिल), मुंबई 400 001 को फार्म ओडीआइ में दें।

**एडीआर/जीडीआर
संबद्ध स्टॉक विकल्प
योजना के तहत
विदेशी प्रतिभूतियों
की खरीद**

प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि जारीकर्ता कंपनी ने सेबी/ सरकार के संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया है, एडीआर/जीडीआर संबद्ध कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर पांच कैलेंडर वर्ष के ब्लॉक में 50,000 अमरीकी डॉलर या इसके समतुल्य राशि तक प्रेषण कर सकते हैं।

**बयाना जमा राशि
करने अथवा बोली
बॉण्ड गारंटी जारी
करने के लिए प्रेषण**

(i) अधिसूचना के विनियम 14 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंक जो विनियम 6 के तहत निवेश के लिए पात्र भारतीय पार्टी द्वारा संपर्क किए जाने पर बयाना रकम जमा (ईएमडी) के लिए विधिवत् भरा हुआ फार्म ए 2 प्राप्त करने के बाद पात्र सीमा तक प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं अथवा बोली लगाने अथवा भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी के अधिग्रहण के लिए निविदा प्रक्रिया में सहभागिता हेतु उनकी ओर से बोली बॉण्ड गारंटी जारी कर सकते हैं। बोली जीतने पर, प्राधिकृत व्यापारी बैंक, विधिवत् भरा हुआ फार्म ए 2 प्राप्त करने के बाद अधिग्रहण मूल्य का प्रेषण कर सकते हैं और ऐसे प्रेषण की रिपोर्ट (बयाना के लिए शुरू में प्रेषित रकम को शामिल करके) फार्म ओडीआइ में मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, समुद्रपारीय प्रभाग, अमर भवन (तीसरी मंजिल), मुंबई 400 001 को प्रस्तुत करें। प्राधिकृत व्यापारी बैंक बयाने की रकम जमा करने हेतु प्रेषण की अनुमति देते समय भारतीय पार्टी को सूचित करें कि यदि वे बोली में सफल न हुए तो यह

सुनिश्चित करें कि प्रेषण की राशि विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और अभ्यर्पण) विनियमावली, 2000 (देखें दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 9/2000-आरबी) के अनुसार प्रत्यावर्तित की जाती है।

(ii) जहाँ कोई भारतीय पार्टी बोली/निविदा में सफल हो जाती है परंतु निवेश न करने का निर्णय करती है तो ऐसे मामले में प्राधिकृत व्यापारी बैंक बयाने की रकम जमा करने की दी गई अनुमति/ लागू की गई बोली बाण्ड गारंटी के ब्योरे फार्म ओडीआइ में मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, अमर भवन(तीसरी मंजिल) मुंबई 400 001 को प्रस्तुत करें।

(iii) जहाँ कोई भारतीय पार्टी बोली में सफल हो जाती है परंतु भारत से बाहर किसी कंपनी के अभिग्रहण के नियम और शर्तें भाग I में दी गई विनियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं अथवा जिसके लिए उपविनियम (3) के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त किया गया, उससे भिन्न हैं तो भारतीय पार्टी फार्म ओडीआइ प्रस्तुत करके रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करे।

**भारत के बाहर
संयुक्त उद्यम/
पूर्णतः स्वाधिकृत
सहायक संस्था के
शेयरों की बिक्री के
रूप में अंतरण**

भारतीय पार्टी उपर्युक्त पैरा (2) में दिए गए अनुसार फार्म ओडीआइ के भाग IV में विनिवेश के 30 दिनों के अंदर प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से विनिवेश के ब्योरे रिपोर्ट करें। शेयरों/ प्रतिभूतियों से प्राप्त बिक्री आय को प्राप्ति के बाद अविलंब भारत प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा तथा किसी भी स्थिति में शेयरों/ प्रतिभूतियों की बिक्री की तारीख से 90 दिनों के अंदर।

संलग्नक - अ

कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना की रिपोर्टिंग

_____ मार्च को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना
के तहत भारतीय कर्मचारियों/ निदेशकों को आबंटित शेयरों का विवरण
(अपने प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से कंपनी के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाए)

हम, मेसर्स (भारतीय कंपनी) इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि :

क) मेसर्स (विदेशी कंपनी) ने निम्नानुसार वर्ष के दौरान कर्मचारी
स्टाक विकल्प योजना के तहत हमारे कर्मचारियों को शेयर जारी किए हैं

- (i) आबंटित शेयरों की संख्या
- (ii) कर्मचारियों/ निदेशकों की संख्या जिन्होंने शेयर स्वीकार किया है
- (iii) भेजी गई राशि

ख) मार्च 31, _____ के अनुसार भारतीय कंपनी में विदेशी कंपनी मेसर्स
. की प्रभावी धारिता 51% से कम नहीं है और

ग) मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई सूचना सत्य और सही है।

प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

दिनांक :

सेवा में-

मुख्य महाप्रबंधक

भारतीय रिजर्व बैंक

विदेशी मुद्रा विभाग

समुद्रपारीय निवेश प्रभाग

केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, तीसरी मंजिल

सर पी.एम. रोड, फोर्ट,

मुंबई 400 001.

संलग्नक आ
मार्च _____ को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी स्टाक विकल्प योजनाओं
के तहत भारतीय कर्मचारियों/ निदेशकों से जारीकर्ता कंपनी द्वारा
पुनः खरीदे गए शेयरों का विवरण

(उनके प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से कंपनी के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाए)

हम, मेसर्स(भारतीय कंपनी) इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि :

क) मेसर्स (विदेशी कंपनी) ने वर्ष के दौरान कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना के तहत हमारे कर्मचारियों को जारी _____ शेयरों की पुनः खरीद की है,

- (i) आबंटित शेयरों की संख्या :
- (ii) कर्मचारियों/ निदेशकों की संख्या जिन्होंने शेयर बेचे हैं :
- (iii) प्रेषण की राशि (आवक)

ख) मार्च 31, _____ के अनुसार भारतीय कंपनी में विदेशी कंपनी मेसर्स की प्रभावी धारिता 51% से कम न हो और

ग) मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई सूचा सत्य और सही है।

प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
दिनांक :

सेवा में-

मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
समुद्रपारीय निवेश प्रभाग
केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, तीसरी मंजिल
सर पी.एम. रोड, फोर्ट,
मुंबई 400 001.

फार्म ओडीआई

भाग I

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

प्राप्ति की तारीख.

आवक सं.

खण्ड अ : भारतीय पार्टी के ब्योरे

(I) (i) स्वतः अनुमोदित मार्ग ☐ (ii) अनुमोदन मार्ग ☐ के अंतर्गत निवेश
(अगर एक से ज्यादा भारतीय पार्टी हो तो प्रत्येक पार्टी के लिए अलग शीट पर सूचना दी जाए)

(II) भारतीय पार्टी का नाम

(III) भारतीय पार्टी का पता

शहर

राज्य

पिन

(IV) संपर्की

पदनाम

टेलीफोन सं.

फैक्स

(V) भारतीय पार्टी का हैसियत : (कृपया योग्य श्रेणी पर टिक लगाएं)

(1) पब्लिक लिमिटेड कंपनी ☐

(2) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ☐

(3) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ☐

(4) पंजीकृत भागीदारी ☐

(5) स्वामित्व ☐

(6) अपंजीकृत भागीदारी ☐

(7) ट्रस्ट ☐

(8) सोसायटी ☐

(9) अन्य ☐

(VI) भारतीय पार्टी का कार्यकलाप कूट*

*3-डिजिट स्तर पर एनआईसी कूट

[अगर भारतीय पार्टी वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत हो अथवा स्वामित्व, गैर-पंजीकृत भागीदारी अथवा वित्तीय क्षेत्र श्रेणी में आता हो तो नीचे मद VII में ब्योरे दिए जाएं]।

(VII) भारतीय पार्टी के पिछले 3 वर्ष के वित्तीय ब्योरे

(रु.000 में राशि)

ब्योरे	वर्ष 1 31-3-	वर्ष 2 31-3-	वर्ष 3 31-3-
विदेशी मुद्रा अर्जन (संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को ईक्विटी निर्यात से इतर)			
निवल लाभ			
प्रदत्त पूंजी			
(क) भारतीय पार्टी			
(ख) कंपनी समूह@का निवल मालियत			

@ जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं.फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6(3) के स्पष्टीकरण के अनुसार

(VIII) भारतीय पार्टी और उसके समूह के कंपनियों के मौजूदा संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों, जो पहले से परिचालन में हैं अथवा कार्यान्वित हो रहे हैं, के ब्योरे :

क्रम सं.	भारतीय पार्टी का नाम	रिजर्व बैंक द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान सं.
1.		
2.		
3.		

(IX) क्या प्रस्तावित निवेश (योग्य बॉक्स में टिक लगाएं)

- (क) नयी परियोजना है ☐ (कृपया खण्ड आ में ब्योरे दें)
- (ख) वर्तमान परियोजना है* ☐ (कृपया खण्ड इ में ब्योरे दें)

*भारतीय पार्टी द्वारा प्रवर्तित मौजूदा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में स्टेक का अधिग्रहण

खण्ड आ : नयी परियोजना में निवेश के ब्योरे

केवल रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए											
विशिष्ट पहचान सं.											

- (I) निवेश का प्रयोजन (कृपया योग्य श्रेणी में टिक लगाएं)
- (क) संयुक्त उद्यम में भागीदारी ☐ (ख) पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में अंशदान ☐
- (ग) विदेशी कंपनी का पूर्ण अधिग्रहण ☐
- (घ) विदेशी कंपनी का आंशिक अधिग्रहण ☐
- (ङ) अनिगमित कंपनी में निवेश ☐
- (च) अन्य ☐

- (II) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के ब्योरे
- (क) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का नाम
- (ख) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का पता
- (ग) देश का नाम
- (घ) ई-मेल
- (ङ) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का लेखा वर्ष

(III) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का कार्यकलाप कूट

(IV) क्या संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी एसपीवी है? (हां/नहीं) ☐ *

अगर हां, तो खण्ड ई में ब्योरे दें

प्रस्तावित पूंजी संरचना

	[क] भारतीय पार्टी/पार्टियां	% स्टेक		[ख] विदेशी भागीदार	% स्टेक
(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		

खण्ड इ : मौजूदा परियोजना में निवेश के ब्योरे

केवल रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए विशिष्ट पहचान सं.											

- (I) अनुपूरक निवेश का प्रयोजन (योग्य श्रेणी पर टिक करें) ☐
- (क) मौजूदा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में ईक्विटी में ☐ द्व
- (ख) अधिमान ईक्विटी/परिवर्तनीय ऋण में वृद्धि ☐
- (ग) मौजूदा संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में ऋण मंजूरी/वृद्धि ☐
- (घ) गारंटियों का विस्तार/ वृद्धि ☐
- (ङ) अनिगमित कंपनी को प्रेषण ☐
- (च) अन्य ☐

(II) पूंजी संरचना

	[क] भारतीय पार्टी/पार्टियां	% स्टोक		[ख] विदेशी भागीदार	% स्टोक
(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		

भाग ई - संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के लिए वित्तपोषण

(राशि एफसीवाय 000 में)

I	समुद्रपारीय अधिग्रहण का पूर्ण मूल्य	
II	भारतीय पार्टी के लिए समुद्रपारीय अधिग्रहण की आनुमानिक कीमत	
III	वित्तीय प्रतिबद्धता* (लागू एफसीवाय में): एफवायसी	राशि
IV	भारतीय पार्टी द्वारा निवेश की पद्धति	
	(i) नकदी प्रेषण	
	(क) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा	
	(ख) बाजार खरीद	
	(ii) निम्नलिखित का पूंजीकरण	
	(क) संयंत्र और मशीनरी का निर्यात	
	(ख) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	
	(iii) एडीआर/जीडीआर (समुद्रपार में उगाही गई)	
	(iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड	
	(v) शेयरों का स्वैप	
	(vi) अन्य (कृपया उल्लेख करें)	
	कुल अ [भारतीय पार्टी]	
V.	क्या संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी एसपीवी है (हां/नहीं)	
	(क) अगर हां, तो एसपीवी का प्रयोजन	
	i) समुद्रपारीय अधिग्रहण का पूर्ण मूल्य	
	ii) एसपीवी द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष इन्फ्यूजन	
	iii) भारतीय पार्टी से गारंटी/ प्रति गारंटी के साथ समुद्रपार में उगाही निधियां	
	iv) भारतीय पार्टी से गारंटी/ प्रति गारंटी के बिना समुद्रपार में उगाही निधियां	
	v) विदेशी निवेशकों द्वारा ईक्विटी/अधिमान ईक्विटी/ शेयरधारक के ऋण के रूप में अंशदान की गई निधियां	
	vi) प्रतिभूतिकरण (सेक्यूरिटाइजेशन)	
	vii) अन्य किसी रूप में (कृपया उल्लेख करें)	
	कुल	

VI. गारंटियां/अन्य गैर-निधि आधारित प्रतिबद्धताएं

टिप्पणी* : जुलाई 7, 2004 की फेमा 120/आरबी-2004 खण्ड 2(च) में यथापरिभाषित वित्तीय प्रतिबद्धता - वित्तीय प्रतिबद्धता का अर्थ ईक्विटी, ऋण के रूप में प्रत्यक्ष निवेश की राशि और भारतीय पार्टी द्वारा अपने समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम कंपनी अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को अथवा उनकी ओर से जारी गारंटी राशि का 100 प्रतिशत।

भाग उ : भारतीय पार्टी द्वारा घोषणा

I(क) क्या आवेदक पार्टी(पार्टियां), उसके प्रवर्तक, निदेशक, आदि किसी जांच/ प्रवर्तन एजेंसी अथवा विनियामक निकाय द्वारा जांच के अधीन है? अगर हां, तो छानबीन अधिनिर्णय के वर्तमान चरण/ मामले के निपटान का ढंग सहित उसके संक्षिप्त ब्योरे।

(ख) क्या प्रवर्तक भारतीय पार्टी(पार्टियां) वर्तमान में निर्यात प्राप्तियों की वसूली न होने की वजह से रिजर्व बैंक की निर्यातकों की सतर्कता सूची में है अथवा रिजर्व बैंक द्वारा परिचालित बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ताओं की सूची में है/हैं? अगर हां, तो भारतीय पार्टी(पार्टियों) की हैसियत:

(ग) प्रस्तावित कंपनी को स्थापित/अधिगृहीत करने के लिए मेज़बान देश में उपलब्ध कोई विशेष लाभ/ प्रोत्साहन सहित इस प्रस्ताव से संबंधित कोई अन्य सूचना।

मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

स्थान : _____

दिनांक: _____

मुहर/मुद्रा

नाम : _____

पदनाम : _____

संलग्नकों की सूची :

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

खण्ड ऊ : भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखाकार का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि समय-समय पर यथासंशोधित जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 (विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004) में निहित शर्तों का रिपोर्ट किए जा रहे निवेश के संबंध में भारतीय पार्टी ने अनुपालन किया है। विशेष रूप से यह प्रमाणित किया जाता है कि :

(i) निवेश भूमि भवन उनमुख अथवा बैंकिंग कारोबार में नहीं है, और
(ii) पहले किए गए समुद्रपारीय निवेश और निर्यात और पूंजीकृत अन्य देय/ शेयरों का स्वैप/ स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विदेश में निवेश के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेष के साथ निवेश के प्रेषण के लिए प्रस्तावित विदेशी मुद्रा खरीद की राशि रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित सीमाओं के अधीन है। इसकी अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख अर्थात् को भारतीय पार्टी की निवल मालियत के संदर्भ में सत्यापन किया गया है।

(iii) निवेश के लिए निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन किया गया है।

(iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

(v) भारतीय पार्टी ने (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सेवा कार्यकलाप से निवल लाभ प्राप्त किए हैं, (ख) भारत के विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के विवेकपूर्ण मानदण्डों को पूरा किया है, (ग) वित्तीय सेवा कार्यकलाप करने के लिए भारत में उपर्युक्त विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकरण किया गया है और (घ) भारत और विदेश में संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से वित्तीय सेवा क्षेत्र कार्यकलापों में निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है*।

टिप्पणी : *केवल वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश के मामलों में लागू (उदा. बीमा, म्यूचुअल फण्ड, परिसंपत्ति प्रबंधन, आदि)

बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेषों के माध्यम से निवेश के निधीयन के मामलों में लागू।

(कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)

फर्म का नाम, मुहर और पंजीकरण सं.

* * * * *

भाग II विप्रेषणों की रिपोर्टिंग

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

प्राप्ति की तारीख -----

आवक सं. -----

वर्तमान संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में निवेश के मामले में कृपया पहले से आबंटित विशिष्ट पहचान सं. लिखें :												

(I) भारतीय कंपनी का नाम _____

(II) क्या, पिछले रिपोर्टिंग के बाद कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन हुआ है? (हां/नहीं) _____

अगर हां, तो कंपनी का पुराना नाम _____

किए गए वर्तमान विप्रेषणों के ब्योरे

(राशि एफसीवाय के 000 में)

रिपोर्टिंग प्राधिकृत	न कोड	विदेशी मुद्रा**	
(क) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(ख) बाजार खरीद द्वारा			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(ग) एडीआर/जीडीआर निधियों से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(घ) शेयरों के स्वैप द्वारा			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	स्वैप की तारीख
		XXXX	

(ड) भारत में/भारत के बाहर रखे गए बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेषों से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	लेनदेन की तारीख
(च) निर्यात/अन्य प्राप्यों का पूंजीकरण@			
पूंजीकरण की तारीख:		राशि :	
(छ) जारी की गई गारंटी : दिनांक (नया/विस्तारित वर्तमान गारंटी अवधि)		राशि :	
वैधता अवधि			

टिप्पणी : ** कृपया एसडब्ल्यूआईएफटी कोड के अनुसार विदेशी मुद्रा का नाम दर्शाएं।

@ कृपया पूंजीकृत किए जा रहे अन्य प्राप्यों अर्थात् रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क, परामर्शी शुल्क, आदि का उल्लेख करें।

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि विप्रेषण
(जो लागू न हो उसे काट दें)

i) निर्धारित शर्तों की भारतीय पार्टी द्वारा अनुपालन की पुष्टि करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर स्वतः अनुमोदित मार्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है;

ii) रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुमोदन पत्र के शर्तों के अनुसार है; तथा

iii) इस बात से संतुष्ट होने के कि दावा, विदेश में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को/की ओर से जारी गारंटी के शर्तों के अनुपालन में है, इन्वोक्ड गारंटी विप्रेषण के संबंध में विप्रेषण किया गया है।

स्थान
दिनांक:

मुहर/मुद्रा

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम :
पदनाम :
टेलीफोन सं. :
फैक्स सं. :

वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (एपीआर)

I. वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) की तारीख : _____

[illegible]

III. पिछले रिपोर्ट के बाद पूंजी संरचना में परिवर्तन

IV. पिछले दो वर्षों के लिए संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के परिचालनात्मक ब्योरे

	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
i) निवल लाभ/ (हानि)		
ii) लाभांश		
iii) निवल मालियन		

संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों से विदेशी मुद्रा अर्जन

* (संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लाभ के अंश जो प्रतिधारित हैं और जिनका संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में पुनः निवेश किया गया है, को दर्शाता है)

**** (रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क, परामर्शी शुल्क, आदि)**

VI. पिछले रिपोर्टिंग से स्टेप डाउन सहायक कंपनियों में निवेश

देश	
संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का नाम	
निवेश की राशि	

स्थान : _____

दिनांक: _____

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

मुहर/मुद्रा

नाम : _____

पदनाम : _____

(कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)

फर्म का नाम, मुहर और पंजीकरण सं.

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

भाग IV

संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के बंद होने/

विनिवेश/ स्वैच्छिक परिसमापन/ समापन पर रिपोर्ट

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा प्रेषित किया जाए

(सभी राशि विदेशी मुद्रा में, हजारों में)

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम और पता : _____

प्राधिकृत व्यापारी कूट : _____

रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित यूनिक पहचान संख्या

[illegible]

क्या वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है?	हां	नहीं
---	-----	------

पिछले वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट से संबद्ध अवधि और प्रस्तुति की तारीख : _____

निवेश के ब्योरे

ईविट्टी	ःण	जारी की गई गारंटियां

विप्रेषण के ब्योरे

ईक्विटी	ऋण	मांगी गई गारंटियां

पिछले वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट के बाद पूंजी संरचना में परिवर्तन

ईक्विटी	ऋण	जारी की गई गारंटियां

विनिवेश पर प्रत्यावर्तित राशि

ईविटी	ऋण

यह प्रमाणित किया जाता है कि (जो लागू न हो उसे काट दें)

I.(क) बिक्री ऐसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की गई है जहां समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के शेयर सूचीबद्ध हैं;

(ख) अगर शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न हो और शेयरों का विनिवेश निजी व्यवस्था द्वारा किया गया हो, तो शेयर की कीमत, सनदी लेखाकार/ प्रमाणित सामाजिक लेखाकार द्वारा संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की आखिरी लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित शेयरों का प्रमाणित उचित मूल्य से कम न हो;

(ग) भारतीय पार्टी का संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था से लाभांश, तकनीकी जानकारी फी, रॉयल्टी, परामर्श सेवा, कमीशन अथवा अन्य पात्रताओं और/अथवा निर्यात प्राप्तियों के तौर पर कोई बकाया देय न हो;

(घ) समुद्रपारीय संस्था कम-से-कम एक वर्ष के लिए परिचालित है और उस वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे के साथ वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गई है;

(ङ) भारतीय पार्टी केन्द्रीय जांच ब्यूरो/प्रवर्तन निदेशालय/सेबी/बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अथवा भारत में किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा जांच के अधीन नहीं है।

स्थान :

दिनांक :

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

टेलीफोन सं. :

फैक्स सं. :

मुहर/मुद्रा

परिशिष्ट

विदेश में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में प्रत्यक्ष निवेश
मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों/ अधिसूचनाओं की सूची

जारी अधिसूचनाएं

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
1	फेमा 120/आरबी-2004	जुलाई 07, 2004
2	फेमा 132/आरबी-2005	मार्च 31, 2005
3	फेमा 135/आरबी-2005	मई 17, 2005
4	फेमा 139/आरबी-2005	अगस्त 11, 2005
5	फेमा 150/आरबी-2006	अगस्त 21, 2006

क्रम सं.	परिपत्र सं.	दिनांक
1	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.14	अक्टूबर 01, 2004
2	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.32	फरवरी 09, 2005
3	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.42	मई 12, 2005
4	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.9	अगस्त 29, 2005
5	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.29	मार्च 27, 2006
6	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.30	अप्रैल 05, 2006
7	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.3	जुलाई 03, 2006
8	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.6	सितंबर 06, 2006
9	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.11	नवंबर 16, 2006
10	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.41	अप्रैल 20, 2007
11	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.49	अप्रैल 30, 2007
12	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.50	मई 04, 2007
13	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.53	मई 08, 2007
14	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.68	जून 01, 2007
15	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.72	जून 08, 2007
16	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.75	जून 14, 2007
17	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.76	जून 19, 2007